न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 318/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रतनसिह पुत्र स्व0 भूपसिह 2– अणदकंवर पत्नी स्व0 राजसिह 3– थानसिह पुत्र स्व0 जब्बरसिह 4– महेन्द्रसिह पुत्र स्व0 जब्बरसिह 5– बहादुरसिह पुत्र स्व0 जब्बरसिह 6– छोटूसिह पुत्र स्व0 जब्बरसिह 7– जीजाकंवर पत्नी स्व0 जब्बरसिह सभी जातियान राजपूत निवासी ग्राम सरली तहसील बाडमेर जिला बाडमेर		1– मुंगकंवर पत्नी स्व0 गेमरसिह जाति राजपूत निवासी सरली, तहसील व जिला बाडमेर 2– भीखसिह पुत्र स्व0 गेमरसिह जाति राजपूत निवासी सरली, तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर जो राजस्व प्रकरण संख्या 95/2016 मे दिनांक 7–7–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–7–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 मुंगकंवर पत्नी गेमरसिह जाति राजपूत निवासी सरली तहसील व जिला बाडमेर की ओर से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा सरली मे उसके ससुर सुजानसिह पुत्र बींजराजसिह की खुद काश्तकारी खातेदार का एक खसरा संख्या 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खसरा नंबर 1031 रकबा 20.00 बीघा आए हुए है, इन खेतो का पर्चा लगान दिनांक 18–3–1956 को सुजानसिह जागीर खुद काश्त के नाम जारी हुआ था । दोनो ही खेतो पर वक्त सेटलमेंट से सुजानसिह एवं उसके परिवार का कब्जा काश्त है । पर्चा लगान के बाद मिसल बंदोबस्त बनाते समय त्रुटिवशः सुजानसिह की वल्दियत मे बींजराजसिह के स्थान पर भूपसिह का नाम दर्ज हो गया जबकि भूपसिह सुजानसिह के पिता न होकर भाई थे । मौजा सरली के एक अन्य खसरा नंबर 721 रकबा 36.17 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से सुजानसिह के नाम दर्ज हुई, तत्समय मौजा सरली के अन्य खसरा नंबर 1066 मे भूलवश सुजानसिह की वल्दियत बींजराजसिह के स्थान पर भूपसिह दर्ज हो गई जो निरंतर चलती रही तथा इसकी जानकारी सुजानसिह को नही रही । सुजानसिह का वर्ष 1967 मे देहांत होने पर सुजानसिह के एक मात्र पुत्र गेमरसिह के नाम म्युटेशन संख्या 135 पारित हुआ जिसमे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सुजानसिह के साथ भूपसिह का नाम दर्ज कर भूपसिह को खातेदार दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी

सुजानसिह के परिवार को नही हो सकी तथा भूपसिह की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रो रतनसिह व राजसिह का नाम उक्त खेतो मे दर्ज किया गया । अतः वक्त सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त की त्रुटि को दुरस्त की जाकर सुजान सिह की वल्दियत बींजराज सिह अंकित करने तथा सुजानसिह भूपसिह पि0 बींजराजसिह के नाम का अंकन म्युटेशन संख्या 135 मे किया गया है, उसे दुरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने प्रार्थियां के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाडमेर से रेकर्ड एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मौजा सरली (वर्तमान ग्राम गोबरपुरा) के खेत खसरा नंबर 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खेत खसरा नंबर 1031रकबा 20 बीघा मे खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2031 मे सुजानसिह वल्द बींजराजसिह अंकित किया जाने का तथा साथ ही म्युटेशन संख्या 135 मे अंकित अशुद्ध प्रविष्टि सुजानसिह, भूपसिह पि0 बींजराजसिह निरस्त की जाकर शुद्ध प्रविष्टि सुजानसिह वल्द बींजराजसिह अंकित की जाये । उक्त शुद्धियों के फलस्वरूप पूर्व मे पारित म्युटेशन निरस्त किये जाते है तथा तत्कालीन मौजा सरली वर्तमान ग्राम गेम्बरपुरा के खेत खसरा नंबर 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खसरा नंबर 1031 रकबा 20 बीघा भूमि मे सुजानसिह के वारिसान मुंगकंवर एवं भीखसिह के नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा उस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–7–2016 निरस्त योग्य है क्योकि अपीलाधीन आदेश के जरिये जिन खातेदारो का नाम हटाने का आदेश दिया है, उन खातेदारो को प्रार्थना पत्र मे पक्षकार ही नही बनाया गया है एवं न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो मे कंवर नही होता है तथा यह भी कथन किया कि सेटलमेंट की प्रविष्टि को धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थनापत्र के जरिये बदला नही जा सकता है इसके लिए सक्षम न्यायालय मे नियमित राजस्व वाद के जरिये ही बदली ज सकती है तथा यह भी कथन किया कि पक्षकारो के बीच नियमित वाद अभी लंबित होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त तथ्य प्रकट किये बिना शार्ट कट तरीका अपनाते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी जिस तरह से तहसीलदार से रिपोर्ट जो अपीलांट की गैर मौजुदगी मे तैयार की गई, तलब कर तथा मजमे आम जानकारी करना बताते हुए वर्ष 1967 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन

से खातेदारो का नाम बिना उन्हे सुनवाई का अवसर दिया हटा दिया जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत तथा विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 यदि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 135 जो कि वर्ष 1967 मे स्वीकृत हुआ था, उससे व्यथित थी तो विधिवत म्युटेशन की अपील संबंधित खातेदारान को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, परंतु ऐसी नही कर साधारण प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस विधिक प्रावधान को नजर अंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खतौनी बंदोबस्त मे दर्ज खातेदारान की भूमि गांव सरली एवं गांव गेमरपुरा दोनो मे संयुक्त खाते मे दर्ज है, रेस्पो0 ने इस तथ्य को प्रार्थना पत्र मे छुपाया है इतना ही नही शामलाती खाते की अन्य भूमियो के बारे मे भी प्रार्थना पत्र मे कोई उल्लेख नही किया है । वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय मे यह उल्लेख किया है कि मजमेआम मे उनके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। इस संबंध मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि ऐसी जानकारियो के आधार पर किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये उनके अधिकारो के बारे मे निर्णय नही किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से राजस्व रेकर्ड मे अपीलांटगण का नाम तर्क कर अप्रत्यक्ष रूप से बिना वैद्य हस्तांतरण पत्र के खातेदारी अधिकारो का हस्तांतरण कर दिया, ऐसा आदेश अनाधिकारपूर्ण, विधिविरूद्ध एवं प्रभाव शून्य होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–7–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा कथन किया कि मौजा सरली के खसरा संख्या 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खसरा नंबर 1031 रकबा 20.00 बीघा भूमि सुजानसिह पुत्र बींजराजसिह की खुद काश्तकारी की भूमि थी तथा इन खेतो का पर्चा लगान दिनांक 18–3–1956 को सुजानसिह जागीर खुद काश्त के नाम जारी हुआ था । दोनो ही खेतो पर वक्त सेटलमेंट से सुजानसिह एवं उसके परिवार का कब्जा काश्त है । पर्चा लगान के बाद मिसल बंदोबस्त बनाते समय त्रुटिवशः सुजानसिह की वल्दियत मे बींजराज सिह के स्थान पर भूप सिह का नाम दर्ज हो गया जबकि भूपसिह सुजान सिह के पिता न होकर उनके भाई थे । उक्त त्रुटि की जानकारी होने पर रेस्पो0गण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड मे हुई इस त्रुटि को सुधारने के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि

राजस्व रेकर्ड मे हुई इस प्रकार की त्रुटि को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये सुधारा जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि मौजा सरली के खसरा नंबर 1040, 722 एवं अन्य खसरे की भूमि भूपसिह वल्द विजयराज सिह के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । वर्ष 1967 मे खातेदार सुजानसिह की मृत्यु होने पर म्युटेशन संख्या 135 मे सुजानसिह के पुत्र गेमर सिह के नाम म्युटेशन पारित किया गया परंतु उक्त म्युटेशन मे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश सुजान सिह के साथ भूप सिह का नाम दर्ज कर भूप सिह को 1/2 हिस्से का खातेदार अंकित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण था तथा यह भी कथन किया कि केवल म्युटेशन मे नाम दर्ज हो जाने से उन्हें खातेदरी राईट हासिल नही हो सकते ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे हुई इस प्रकार की त्रुटि को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया जा सकता है जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत अपीलाधीन भूमि तत्कालीन ग्राम सरली के खसरा नंबर 1066 रकबा 68.03 बीधा एवं खसरा नंबर 1031 रकबा 20 बीघा भूमि पर मौके एवं कब्जा काश्त के संबंध मे मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिवत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपीलांट के बहस मे किये गये कथन कि उसे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया इसके जवाब मे कथन किया कि यदि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का अवसर नही भी दिया गया था तो अब अपीलांट को इस अपीलेट कोर्ट मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिया है तथा अपीलांट को सुना जा चुका है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 मुंगकंवर पत्नी गेमरसिह जाति राजपूत निवासी सरली तहसील व जिला बाडमेर की ओर से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा सरली मे उसके ससुर सुजानसिह पुत्र बींजराजसिह की खुद काश्तकारी खातेदार का एक खसरा संख्या 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खसरा नंबर 1031 रकबा 20.00 बीघा आए हुए है, इन खेतो का पर्चा लगान दिनांक 18–3–1956 को सुजानसिह जागीर खुद काश्त के नाम जारी हुआ था । दोनो ही खेतो पर वक्त सेटलमेंट से सुजानसिह एवं उसके परिवार का कब्जा काश्त है । पर्चा लगान के बाद मिसल बंदोबस्त बनाते समय त्रुटिवशः सुजानसिह की वल्दियत मे बींजराजसिह के स्थान पर भूपसिह का नाम दर्ज हो गया जबकि भूपसिह सुजानसिह के पिता न होकर भाई थे । मौजा सरली के एक अन्य खसरा नंबर 721 रकबा 36.17 बीघा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि वक्त सेटलमेंट से सुजानसिह के नाम दर्ज हुई, तत्समय मौजा सरली के अन्य खसरा नंबर 1066 मे भूलवश सुजानसिह की वल्दियत बींजराजसिह के स्थान पर भूपसिह दर्ज हो गई जो निरंतर चलती रही तथा इसकी जानकारी सुजानसिह को नही रही । सुजानसिह का वर्ष 1967 मे देहांत होने पर सुजानसिह के एक मात्र पुत्र गेमरसिह के नाम म्युटेशन संख्या 135 पारित हुआ जिसमे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सुजानसिह के साथ भूपसिह का नाम दर्ज कर भूपसिह को खातेदार दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी सुजानसिह के परिवार को नही हो सकी तथा भूपसिह की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रो रतनसिह व राजसिह का नाम उक्त खेतो मे दर्ज किया गया । अतः वक्त सेटलमेंट मिसल बंदोबस्त की त्रुटि को दुरस्त की जाकर सुजान सिह की वल्दियत बींजराज सिह अंकित करने तथा सुजानसिह भूपसिह पि0 बींजराजसिह के नाम का अंकन म्युटेशन संख्या 135 मे किया गया है, उसे दुरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने प्रार्थियां के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाडमेर से रेकर्ड एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2016 को पारित किया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 मे कवर नही होता है, जिसके संबंध मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का अवलोकन किया जिसके द्वारा राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त दुरस्त किया जा सकता है ।

वर्तमान अपील मे अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करते है कि सुजान सिह एवं भूप सिह दोनो भाई थे तथा दोनो के पिता का नाम बींजराज सिह था, इस तथ्य पर कोई विरोधाभास नही है । सुजान सिह पुत्र बींजराज सिह की खुद काश्त खातेदारी की भूमि मौजा सरली के खेत खसरा नंबर 1066 रकबा 68.03 बीघा तथा खसरा नंबर 1031 रकबा 20 बीघा भूमि का पर्चा लगान सुजान सिह जागीर खुद काश्त के नाम जारी हुआ था तथा उक्त खसरा नंबरान की भूमि पर सुजान सिह एवं उसके वारिसान का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा था परंतु मिसल बंदोबस्त बनाते समय सुजान सिह का नाम तो दर्ज हो गया परंतु लिपिकीय त्रुटिवश सुजान सिह के पिता का नाम बींजराज की जगह भूप सिह का नाम दर्ज हो गया जो त्रुटिपूर्ण था तथा उक्त प्रविष्टि निरंतर चलती रही । खातेदार सुजान सिह का वर्ष 1967 मे देहांत होने पर सुजानसिह के पुत्र गेमरसिह के नाम म्युटेशन संख्या 135 पारित हुआ जिसमे सुजानसिह के साथ भूपसिह का नाम दर्ज होने की जानकारी सुजानसिह के परिवार को उस समय हुई जब भूपसिह की मृत्यु होने के बाद म्युटेशन संख्या 135 मे वर्णित भूमि मे उनके पुत्रो रतनसिह व राजसिह का नाम दर्ज किया जाने पर हुई तथा जानकारी होने पर राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब की ।

तहसीलदार बाडमेर की मौका जांच फर्द जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे

उपलब्ध है जिसमे ग्राम गेम्बरपुरा तत्कालीन गावं सरली के खसरा नंबर 1066 रकबा 68.03 बीघा भूमि मे भीखसिह वल्द गेमरसिह, मूंगकंवर बेवा गेमर सिह का आवासीय मकान, पानी का टांका, पशु चराने का बाडा आदि बने हुए पाये गये तथा सम्पूर्ण खेत के चारो ओर तारबंदी की हुई होना बताया तथा सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से भीखसिह एवं मूंगकंवर का होना पाया गया । इसी प्रकार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे खसरा नंबर 1031 रकबा 20 बीघा पर भी कब्जा काश्त भीखसिह व मूंगकंवर का ही होना बताया तथा तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी संवत 2020–23 पडत सरकार मे सुजानसिह वल्द भूपसिह दर्ज है, इसके बाद नामांतरकरण संख्या 135 के कॉलम संख्या 5 मे सुजानसिह भूपसिह पि0 बिंजराजसिह कौम राजपूत दर्ज हो गया । इस प्रकार राजस्व रेकर्ड के संधारण करते समय खातेदार सुजान सिह की वल्दियत मे हुई त्रुटि को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दुरस्त करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे प्रथम दृष्टियां किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–20.16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20–7–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर